-07-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 64 / 2022

रमेश करमाली बनाम् महावीर यादव वगै० एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
25.04.2023	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी रमेश करमाली, पिता–स्व० गोविन्द करमाली, ग्राम–बन्दा, पो०–बन्दा, थाना–गोला, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–26 / 2018–19 रमेश करमाली बनाम महावीर यादव वगै० में दिनांक–22.07.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–बन्दा के थाना नं०–09 खाता नं०–29 प्लॉट सं०–361, रकवा–1.54 मध्ये रकवा–0.77 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–बन्दा के थाना नं०–09 खाता नं०–29 प्लॉट सं०–361, रकवा–1.54 मध्ये रकवा–0.77 ए० भूमि सर्वे खतियान में जगरनाथ करमाली उर्फ जीतनाथ करमाली के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि सादा हुकुमनामा के आधार पर दावा करते है। अपीलार्थी का कहना है कि विपक्षी का कहना है कि मेरे पूर्वजों के नाम से कायम है। विपक्षी बिना कागजात के उन्हें बेदखल कर दिया। उन्होनें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के द्वारा दिनांक–22.07.2022 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। विपक्षी का कहना है कि मौजा–बन्दा के खाता नं०–29, प्लॉट नं०–361, कुल रकवा–1.54 ए० भूमि सर्वे खतियान में जीतनाथ करमाली के नाम से दर्ज है। जीतनाथ करमाली के दो पुत्रों में से एक पुत्र लोबिन करमाली ने कि मौजा–बन्दा के खाता नं०–29, प्लॉट नं०–361, कुल रकवा–1.54 ए० मध्ये रकवा–0.77 ए० भूमि भूतपूर्व जमीनदार को निबंधित इस्तेफानामा संख्या–4318, दिनांक–13.12.1946 के द्वारा भूमि इस्तिफा कर दिया गया। जिसे पूतपूर्व जमीनदार ने सादा हुकुमनामा के द्वारा दिनांक–20.02.1947 को विपक्षी के पूर्वज बेनी महतो भूमि हस्तांतरित कर गया। जो पंजी–II के पृ०सं०–212 / I में खाता नं०–29 प्लॉट सं०–361, रकवा–1.54 मध्ये रकवा–0.77 ए० का जमाबंदी बेनी महतो के नाम से कायम हो कर रसीद	

निर्गत हो रहा है। उन्होने आगे कहा है कि उक्त भूमि पर बेनी महतो के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हज़ारीगा के न्यायालय भू–वापसी वाद संख्या–416/1976 दायर किया गया। जिसे अस्वीकृत किया गया है। अर्थात मामला Resjudicata का मामला बनता है। उन्होनें अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, गोला के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बन्दा के थाना नं०–09 खाता नं०–29 प्लॉट सं०–361, रकवा–1.54 मध्ये रकवा–0.77 ए० भूमि सर्वे खतियान में जगरनाथ करमाली के नाम से रैयती दर्ज है। भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। चालु पंजी–II के पेज नं०–214/I पर खाता सं०–29 कुल रकवा–5.60 ए० भूमि जमाबंदी खतियानी रैयत के वंशज दुर्जन राय वगै० के नाम से दर्ज है। एवं चालु पंजी–II के पेज नं०–212/I पर खाता सं०–29 प्लॉट नं०–361, रकवा–0.77 ए० भूमि जमाबंदी विपक्षी के वंशज बेनी महतो के नाम से दर्ज है। जो गैर आदिवासी रैयत है। लेकिन जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में कोई आदेश दर्ज नहीं है। वर्त्तमान में अपीलार्थी का पक्का मकान बनाने का कार्य चल रहा था जो बन्द है। शेष भूमि परती है। उन्होने भू–वापसी संबंधी अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा सहित अग्रसरित किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण जमीन गैर आदिवासी को किस सक्षम पदाधिकारी यह स्पष्ट नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, गोला ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–बन्दा के पंजी–II के पृ०सं०–214/I में खाता नं०–29 रकंवा–5.60 ए० का जमाबंदी जगरनाथ करमाली के नाम से कायम है। एवं मौजा–बन्दा के पंजी–II के पृ०सं०–212/I में खाता नं०–29 प्लॉट सं०–361, रकवा–1.54 मध्ये रकवा–0.77 ए० की जमाबंदी बेनी महतो के नाम से कायम है। लेकिन गैर आदिवासी की जमाबंदी किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है, स्पष्ट नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा खतियानी रैयत होने के नाते भूमि पर दावा करते है एवं विपक्षी के द्वारा उक्त भूमि इस्तेफानामा संख्या–4318, दिनांक–13.12.1946 एवं सादा हुकुमनामा दिनांक–20.02.1947 से भूमि प्राप्ति का दावा करते है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस परिस्थिति में 03 महीने के अन्दर इस्तेफा एवं हुकुमनामा सम्पादित किया गया। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–72 का उल्लंधन प्रतीत होता है। विपक्षी का कहना है कि मौजा–बन्दा खाता नं०–29 प्लॉट सं०–361, रकवा–1.54 मध्ये रकवा–0.77 ए० भूमि का इस्तेफानामा किंया गया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि किस परिस्थिति में एक प्लॉट का आधे भाग का इस्तेफा दिया गया। विपक्षी का आगे कहना है कि पूर्व में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–416/1976 दायर किया गया। जिसे अस्वीकृत किया गया। लेकिन संलग्न कागजातो में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वाद को अस्वीकृत नही स्थागित किया गया था। वर्त्तमान में अचंल अधिकारी, गोला के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आदिवासी भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी के बीच हुआ है, जिसके कारण भू–वापसी का मामला

बनता है। अर्थात गैर आदिवासी के द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी संख्या–26/2018–19 रमेश करमाली बनाम महावीर यादव वगै० में दिनांक–22.07.2022 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(ए) के तहत पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
25.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
25.4.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.07.25 15:36:07 +05:30
Location: 192.168.137.1